2012/00059

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर

बईजलास यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 69 / 2012

वादीगण

1. मकबुल खां पुत्र ममुद खां
2. अलादीन पुत्र ममुद खां
3. सफी खां पुत्र ममुद खां
4. मेराबदीन पुत्र नबे खां
5. कालु खां पुत्र नबे खां
6. नसरदीन पुत्र नबे खां
7. बचु खां पुत्र नबे खां
8. अहमद पुत्र जानु खां
9. निजामदीन पुत्र जानु खां

सभी जाति मुसलमान
निवासी जुनेजों की ढाणी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. फता मोहम्मद पुत्र अली खां
2. अखे मोहम्मद पुत्र अली खां
3. अयुब खां पुत्र सुभान खां
4. कमे खां पुत्र सुभान खां
5. आसमान खां पुत्र सुभान खां
6. इकबाल पुत्र सिकन्द खां
7. सखीना पत्नि सिकन्द खां
   निवासी चारणाई तहसील
   फलौदी प्राकृति संरक्षक

   कासम पुत्र आमद खां
   अवयस्क पुत्रगण

   1 अब्दुल रहीम
   2 जानु खां
   3 फिरोज पि सिकन्दर

8. उमर फारुक पुत्र छोटु खां
9. गुलाम रसूल पुत्र नूर खां
10. आमदीन पुत्र नूर खा
11. कमरदीन पुत्र हुसैन खां
12. हनीफ खां पुत्र हुसैन खां
13. गफूर खां पुत्र हुसैन खां
14. अहमद खां पुत्र हुसैन खां
15. गफूर खां पुत्र जमाल खां
16. फते खां पुत्र जमाल खां
17. हसने खा पुत्र जमाल खां
18. रउफ खां पुत्र जमाल खां
19. अयुब खां पुत्र मेहरदीन
    जाति मुसलमान सिपाही
    निवासी मोहरा तहसील
    फलौदी
20. अलादीन पुत्र तालब खां
    जाति मुसलमान निवासी
    चारणाई
21. बरकत पुत्र हनीफ खां पुत्र
    तालब खां जाति मुसलमान

सहायक कलक्टर,
फलौदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

निवासी चारणाई
22. अमीयत पत्नि हनीफ खां
बहैसियत प्राकृतिक
संरक्षिका अवयस्क पुत्रगण
1 जाकिर
2 हवीब
3 अनीश
4 अस्कर
पिसरान हनीफ खां
23. हनीफ खां पुत्र गांधी खां
24. तहसीलदार फलौदी
25. पटवारी जुनेजो की ढाणी

वाद अन्तर्गत धारा ,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.

उपस्थिति :–

4. श्री जमालदीन अधिवक्ता वादीगण
5. श्री रेवन्तसिह पातावत अधिवक्ता संख्या 01 ता 23 की ओर से
6. सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांकः– 24-12-19

वादीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है की ग्राम जुनेजों की ढाणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 205 रकबा 52.17 बीघा, आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर हम वादीगण के पूर्वजो का 150 वर्ष से कब्जा एंव काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादीगण निवास करते है जिसमें हमारी ढाणी एवं टांके व पशुओं के बाडे बने हुवे है उक्त भूमि मृत औरत मरीमों बेवा गैर अली के नाम भूलवंश दर्ज कर दी।

इस घोषणा के माफिक राजस्व रेकर्ड में मृत मुसमात मरीमों के स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावें। खसरा संख्या 205 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में रहन रखना इन्द्राज किया गया है उक्त इन्द्राज को दुरुस्त कर रहनदारो के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण की उपरोक्त भूमि बाबत दिनांक 16.01.2012 एवं दिनांक 27.01.2012 को निष्पादित हकतर्कनामा एवं शुद्विपत्र को वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरुद्व प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जावें। तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादी संख्या 01 इस अमर की जारी फरमाई जावे की वादीगण की कब्जा काश्त भूमि पर किसी प्रकार की रद्दोबदल नही करें तथा न ही किसी प्रकार से बेदखल करें।

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री रेवन्तसिंह पातावत ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दावा में बताया की वादीगण द्वारा दावा मे जो प्लीडिंग पेश की वह पुरी तरह से खारिज योग्य है अतः दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की ग्राम जुनेजो की ढाणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 205 रकबा 52.17 बीघा, आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया की वादी द्वारा वाद एडवर्स पजेशन को लेकर प्रस्तुत किया है जो की खारिज योग्य है तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तथा उच्च न्यायालय द्वारा पजेशन को लेकर स्पष्ट रुलिंग है की एडवर्स पजेशन को लेकर वाद को डिक्री नही किया जा सकता।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया की वादीगण का वाद मुख्य रुप से खसरा नम्बर 205 ग्राम जुनेजो की ढाणी की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का है, वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोवस्त एवं उससे पूर्व वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो। वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पैरोंकार सरकार ने राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बेंच के निर्णय भगवान व अन्य बनाम प्रभूदयाल के कायम मूकाम व अन्य आर आर टी –2018 का निर्णय पेश किया है। जिसमें मंडल की डबल बेच ने स्पष्ट निर्णय पेश किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद डिक्री नही किया जा सकता है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन पश्चात वादी का दावा साबित नही होने एवं मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में खारिज योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, खारिज का डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकन नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 24/12/19..... को सरे इजलास सुनाया गया है।

यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर
फलोदी

सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.09 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: